

समहारणालय, लखीसराय

(जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय)

—: आदेश :-

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चयनित लाभुकों को एम्बुलेंस क्य के परचात अनुदान भुगतान हेतु कार्यालय झापांक-480 दिनांक-18.08.2021 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हलसी को उपावटन उपलब्ध कराया गया था।

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1928, दिनांक-05.03.2020 द्वारा प्रखण्डों में अवशेष राशि को तत्काल CFMS के माध्यम से वापस लेकर जिला के Log In में रखने एवं प्रखण्डों को वाहन क्य के समर्पित कागजात के आधार पर राशि आवश्यकतानुसार उपावटित करने का निर्देश प्राप्त है।

अतः उपरोक्त के आलोक में जिला अन्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड से अव्यवहृत राशि निम्न विवरणी के अनुसार CFMS के माध्यम से वापस ली जाती है :-

क्रम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055001990101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055007890101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	
		आवटन	वापस	आवटन	वापस	वापस
1	हलसी	1,00,000	1,00,000	-	-	1,00,000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
कुल योग		1,00,000	1,00,000	-	-	1,00,000

वापस ली गयी राशि में से मुख्य शीर्ष-3055 सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-199-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग योजना मद में 1,00,000 (एक लाख) रुपये को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ चौक के मोंग के आलोक में निम्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया गया है :-

क्रम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055001990101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055007890101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	मुख्य शीर्ष-3055-सड़क परिवहन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष-010133301 सबिडी	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	रामगढ़ चौक	1,00,000	-	-	1,00,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
कुल योग		1,00,000	-	-	1,00,000

[Signature]

उपवांटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय।

उपवांटित राशि की निकासी स्वीकृत्यादेश संख्या-392, दिनांक-10.06.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय।

उपवांटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपवांटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद की किया जाय, यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, की होगी।

उपवांटित राशि की निकासी लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-823, दिनांक-05.09.2018 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व लाभुक से चयनित वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वयंघोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान किया जाएगा।

उपवांटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार, संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जाएगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड एवं मॉड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

501

जिला पदाधिकारी
लखीसराय

ज्ञापांक:- 566 / परि०, दिनांक:- 23.09.2021

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय समाहरणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस आवंटन आदेश को लखीसराय के बेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्र० प्र० लिपिक, जिला स्थापना शाखा, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि इस उपवांटन आदेश को CFMS के माध्यम से राशि को उपवांटित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उनके सं०स०-03/प्र०-बजट आवंटन (3055)-02/12/2019

ज्ञापांक-30/दिनांक-11.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Judithy artan

जिला पदाधिकारी
लखीसराय